उत्तराखण्ड राज्य

सहकारिता विभाग,
उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्वः प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल–12

{धारा 4(1)(ख)(XII)}

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति (फायदाग्राही एवं कार्यक्रम)

31 अगस्त 2026 तक अद्यावधिक

–राज्य सेक्टर योजनायें:–

सहकारिता विभाग द्वारा राज्य स्तर पर संचालित योजनाओं का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, उनके मानव संसाधनों का क्षमता विकास करना तथा ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना है। राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

- **सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान :–**

इस योजना के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों, सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सहकारिता के सिद्धांतों, प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, लेखा प्रणाली तथा आधुनिक कार्यप्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे सहकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हो सके।

- **उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–**

राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए कृषि उत्पादन लागत को कम करना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अंतर्गत कुल 124502 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 125.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शत–प्रतिशत व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 81623 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया है।

- **पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना–**

ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स मिनी बैंकों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ाने तथा जमा निधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जमा गारंटी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 20.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 19.19 लाख का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 20.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण ₹ 20.00 लाख का व्यय किया गया। इस योजना से ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को मजबूती प्रदान हुई है।

–जिला सेक्टर योजनायें:–

जिला सेक्टर योजनाओं का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर सहकारी संस्थाओं को वित्तीय एवं संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना तथा सहकारी तंत्र के माध्यम से किसानों, उपभोक्ताओं एवं कमजोर वर्गों तक योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। इन योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ संचालित की जा रही हैं

- **ऋण एवं अधिकोषण योजना–**

इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सचिवों को वेतन भुगतान हेतु कॉमन कैडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को ब्याज में राहत एवं अंशपूर्ति हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को सहकारिता के माध्यम से मुख्यधारा में लाना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अंतर्गत ₹ 667.70 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण ₹ 622.70 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 629.13 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2025 तक ₹ 570.13 लाख का व्यय किया जा चुका है, जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है।

- **सहकारी क्रय–विक्रय योजना–**

इस योजना के अंतर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत, क्रय–विक्रय सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा कृषि उत्पादों की खरीद एवं विपणन से सम्बंधित गतिविधियों हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा सहकारी विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 400.96 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 400.96 लाख का व्यय किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के संचालन हेतु ₹ 415.27 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2025 तक ₹ 262.27 लाख का व्यय किया जा चुका है।

अन्य योजनायें

1. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनाः–

किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सहकारी सदस्य किसानों को कृषि एवं कृषि से इतर गतिविधियों के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। योजना के अंतर्गत कृषि कार्यों हेतु अधिकतम ₹ 1.00 लाख तथा कृषि से इतर गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, सब्जी उत्पादन, पॉलीहाउस आदि के लिए अधिकतम ₹ 3.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार् विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण धनराशि लाख रु0 में)	लाभार्थिओं की संख्या		कुल लाभार्थिओं की संख्या
			व्यक्तिगत	स्वयं सहायता समूह	
1	2017-18	38087.46	80868	0	80868
2	2018-19	76148.63	162472	1	162473
3	2019-20	71130.88	125161	1246	126407
4	2020-21	76716.15	122802	1317	124119
5	2021-22	80476.35	119889	1167	121056
6	2022-23	93000.34	169450	965	170415
7	2023-24	89428.76	125736	594	126330
8	2024-25	111369.74	149617	777	150394
9	2025-26	51700.94	71150	261	71411
कुल योग		**688059.25**	**1127145**	**6328**	**1133473**

उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से **आतिथि कुल 1127145 लाभार्थियों एवं 6328 स्वयं सहायता समूहों को कुल रु0 6880.59 करोड़** का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे कृषकों की कृषि उत्पादन लागत में कमी आयी है, फलस्वरुप उनकी आय में वृद्धि हुयी है।

2. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनाः–

इस योजना अन्तर्गत महिलाओं को रियायती दरों पर सायलेज एवं टी0एम0आर0 फीड ब्लॉक उपलब्ध कराकर चारे के बोझ से मुक्त किया जा रहा है। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार (टी0एम0आर0) उनके घर–घर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना अन्तर्गत सायलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि0 द्वारा उत्पादित साइलेज एवं टी0एम0आर0 राज्य के पशुपालकों को रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विक्रय मूल्य पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जिससे एक ओर पशुपालन से अधिक आय अर्जित हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक लाख महिलाओं के कन्धे से घास का बोझ हटाकर कुशल एवं दक्ष उत्पाद वितरण प्रणाली की व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। उक्त योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को उन्नत पशुचारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत राज्य के 11 जनपदों में लगभग 182 सहकारी समितियों के माध्यम से योजनारम्भ से आतिथि कुल 555582.00 मै0 टन सायलेज/पशुआहार वितरित करते हुये 54 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

3. माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना–

उत्तराखण्ड एक सीमान्त राज्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील है। उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों से आजीविका की तलाश में मैदानों की ओर बढ़ रहे पलायन को रोके जाने तथा राज्य में पलायन के कारण हुई अनुपयुक्त भूमि को खेती योग्य भूमि में बदलने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के माध्यम से **माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना** संचालित की जा रही है।

4. मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनाः–

राज्य में युवाओं एवं युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनाका संचालन किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले लाभार्थियों के लिए एक सुलभ एवं व्यावहारिक आजीविका विकल्प के रूप में विकसित की गई है। योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ई–रिक्शा क्रय हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्तीय सहायता के माध्यम से लाभार्थी स्वयं का ई–रिक्शा क्रय कर स्वतंत्र रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में स्थायित्व आ रहा है तथा वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अंतर्गत कुल 44 लाभार्थियों को लगभग ₹ 1.09 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई। वहीं योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 3,344 महिला एवं पुरुष लाभार्थियों को ₹ 44.52 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा क्रय हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है।

05. मोटर साईकिल टैक्सी योजनाः–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संचालित मोटर साइकिल टैक्सी योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रमुख पर्यटन एवं दूरस्थ क्षेत्रों में यात्रियों को सुलभ परिवहन सुविधा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बड़े वाहनों का संचालन कठिन है। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से मोटर साइकिल क्रय हेतु ₹ 60,000 से ₹ 1.25 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

06. स्टेट मिशन मिलेट्स योजना :–

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा स्थानीय कृषकों से झंगोंरा, मंडुवा, सोयाबीन एवं चौलाई खरीदकर उनको, उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है।

राज्य में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित योजनायें

1. पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना–

सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य की समस्त **670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण** किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से समिति कार्यों में पारदर्शिता होने के साथ ही समिति अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

2. पैक्स को जनसुविधा केन्द्र के रूप में विकसित–

राज्य में 300 से अधिक ई–सर्विसों को एमपैक्स के माध्यम से गाँवों तक पहुँचाने हेतु **एमपैक्सों को जन सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित** किया जा रहा है। वर्तमान में **670 एमपैक्स "जन सुविधा केन्द्र के"** रूप में कार्य कर रही है।

3. PMBJK—PACS के माध्यम से जनऔषधि सेवाएं–

एमपैक्स के व्यवसाय में विविधता लाये जाने तथा राज्य के आम जन मानस, पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत वाली गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां व अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से एमपैक्सों को **'जन औषधि केन्द्रों'** के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में **23 एमपैक्स जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य कर रही हैं।**

4. प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द–

राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से **474 पैक्सों में "प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्र"** खोले जा चुके हैं।

5. विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना–

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector के अंतर्गत उत्तराखंड में PACS को आधुनिक भंडारण एवं कृषि अवसंरचना से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य में 22 समितियों द्वारा DPR तैयार कर अनुदान/सब्सिडी की स्वीकृति हेतु NABARD को प्रेषित किए गए हैं।

प्रस्तावित गोदामों का उपयोग स्थानीय स्तर पर किसानों की कृषि उपज एवं अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए किया जाएगा। गोदामों के निर्माण तक आवश्यकता के अनुसार किराये पर गोदाम लेने की सुविधा एवं उसके बीमा की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे समितियों की भंडारण व्यवस्था निर्बाध रूप से चल सके। भविष्य में PACS अपने गोदामों का स्वयं उपयोग करने के साथ–साथ उन्हें किराये पर उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगी।